'लोक लेखा समिति (PAC) के शताब्दी समारोह' के उद्घाटन पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष का सम्बोधन

---

1. संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह में आज संसद के इस ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी एवं माननीय उप-राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन। मेरा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए राज्य और संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडलों के माननीय पीठासीन अधिकारियों, राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति तथा सभी गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन।

2. आज हमारी संसद एवं देश की सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित हैं। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समितियों में से है, जिसने अपनी स्थापना के समय से ही लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है।

3. आज से 75 वर्ष पहले जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से अभी तक देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हुई हैं। इन सात दशकों में संसद ने जनता की आशाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। जनता की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई है।

4. आज लोकतान्त्रिक संस्थाओं को जनता की समस्याओं को हल करने तथा उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली एक प्रभावी संस्था के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि कठिन समस्याओं के बावजूद इन सात दशकों में हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी लोकतंत्र के रूप में आगे आए हैं।

5. लोकतान्त्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व शासन को जनता के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार तथा पारदर्शी बनाना है। संसदीय समितियों ने अपने कार्यों से इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

6. सौ वर्षों का कालखंड एक दीर्घ कालखंड होता है, जब हम किसी संस्था के प्रभाव का आकलन करते हैं, उसके कार्यों की समीक्षा करते हैं। अपने कार्यकरण के 100 वर्षों में लोक लेखा समिति ने विधायिका तथा संसद की सर्वोच्चता को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

7. वर्ष 1921 में जब PAC की स्थापना हुई थी, तो देश स्वतंत्र नहीं था। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से PAC की भूमिका में बड़े बदलाव आए हैं। हमारी प्रगति एवं उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य

से नई परम्पराएं, नई परिपाटियाँ आरंभ की गई हैं ताकि लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण की प्रणाली को स्थापित किया जा सके।

8. लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति है जिसे नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता तथा मार्गदर्शन मिलता है। इसी कारण PAC प्रशासन में वित्तीय खामियों को दूर करने तथा सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सार्थक सिफारिशें दे पाती है। भारत जैसे विकासशील देश में इस समिति के रचनात्मक सुझावों ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ावा ही नहीं दिया है बल्कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने में सहायता भी की है।

9. हमारे लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में गहरी आस्था का परिणाम है कि इस महत्वपूर्ण समिति के सभापति के पद को प्रतिपक्ष को देने की परंपरा आरंभ की गई। समिति की Recommendations को सरकार द्वारा सामान्यतः स्वीकार करने की परंपरा भी हमारी संसदीय व्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाता है।

10. इस परंपरा ने PAC को एक संसदीय व्यवस्था के अंदर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में विकसित किया है जहां सभी निर्णय सामूहिक चर्चा एवं विचार विमर्श से लिए जाते हैं। PAC के पिछले सौ वर्षों के कार्यकरण में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब इसके प्रतिवेदनों ने शासन में वित्तीय अनुशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।

11. मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे देश की इस महत्वपूर्ण संसदीय समिति के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से पीठासीन अधिकारीगण तथा राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति हमारे साथ इस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके समृद्ध अनुभवों एवं विचारों से इस दो दिवसीय सम्मेलन के अंदर की जा रही चर्चाओं को सार्थक बनाया जा सकेगा।

12. संसद की लोक लेखा समिति व राज्यों की लोक लेखा समितियों के बीच साझे हित के अनेक मुद्दे हैं। हमारे उद्देश्य और समस्याओं दोनों में समानता है।

13. इस सम्मेलन में चार सत्र हो रहे हैं जिनमें लोक लेखा समितियों के लिए प्रासंगिक विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस विचार-विमर्श से नए विचार सामने आएंगे जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोक लेखा समिति का कार्यकरण को बेहतर बनाया जा सकेगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजना बनाने का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

14. मुझे यह भी विश्वास है कि सम्मेलन में हम समितियों के कार्यकरण में Information Technology के अधिकतम उपयोग पर चर्चा करेंगे।

15. आज की आवश्यकता है कि सभी विधान मंडलों को एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाए जहां हम अपनी उपलब्धियों, विचारों और अनुभवों को साझा कर सकें और साझी समस्याओं का साझा हल निकाल सकें।

16. अंत में, मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य जनता की सेवा है, उनकी अपेक्षाओं आशाओं को पूर्ण करना है। आपके सहयोग और सक्रिय सहभागिता से भारत की संसद नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

17. लोक लेखा समिति का यह शताब्दी समारोह एवं *आज़ादी के अमृत महोत्सव* के अवसर पर हम सभी यह सामूहिक संकल्प लें कि हम समर्पण एवं प्रतिबद्धता से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए '*सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय* ' की भावना से कार्य करेंगे।

18. एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उप-राष्ट्रपति जी एवं सभी गण्यमान्य अतिथियों को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद।